SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF

(For the Forest land to be diverted under FCA)

Name of Project :- Development of Tarnau - Deedwana - Laxmangarh Mukundgarh Section Section of SH-60, SH-20, SH-83, SH 82A & SH-8 from Chainage km 39.668 to km 205.300 of SH-60 in State of Rajasthan

A proposal has been received by this office from APCCF & Nodal Officer FCA Raj Jaipur for diversion (under FCA-1980) of 74.598 ha. of forest land for non forestry purpose. The subject envisages the use of Protected Strip of forest for Road Construction

The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated 31.7.2017 On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a forest measuring 74.598 ha.

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col. 2 of part-I is unavoidable and is barest minimum required for the project.

Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area. If so, the details there of NO

Whether any protected archaeological / heritage site / defence establishment or any other important monument is located in the area. If so, the details thereof with NOC from competent authority, if required NO

(a) The user agency has not violated the provisions of Forest (Conservation) Act, 1980 and no work has been started without proper sanction.

(b) ✓ It has been found that the user agency has violated the forest (Conservation) Act, 1980 provisions.

(A detailed report as per para 1.9 of chapter 1, Part C of Hand book of Forest (Conservation) Act, 1980 is attached).

(Note: Whichever of the above is applicable should be shown in bold letters)

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.
I recommend for acceptance the proposal in public interest.

Place :Nagaur
Date: ~~07.06.2017~~ 01.08.2017

Name Ved Prakash Gurjar
Designation Deputy Conservator of forest
Office Seal उप वन संरक्षक नागौर

यूजर ऐजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के किये गये उल्लंघन का विवरण

यह प्रस्ताव सड़क निर्माण से सम्बन्धित है एवं यहां यूजर ऐजेन्सी सार्वजनिक निमाण विभाग है। नागौर जिले में बाठड़ी से डीडवाना रोड़ को राज्य सरकार द्वारा रक्षित वन घोषित किया गया है। रक्षित वन घोषित करने की विज्ञप्ति के अुनसार उक्त सड़क के मेटेलिक रोड़ को छोडकर सार्वजनिक निर्माण विभाग के नियंत्रण वाली दोनों और की भूमि रक्षित वन घोषित है। यहां पर पूर्व में 10 मीटर मेटेलिक रोड़ जिसमें डामर सड़क एवं शोल्डर शामिल है, बनी हुई थी। सड़क के दोनों और 7.5–7.5 मीटर सार्वजनिक निर्माण विभाग के नियंत्रण वाली भूमि है, जिसे रक्षित वन घोषित किया गया है। यूजर ऐजेन्सी सार्वजनिक विभाग द्वारा राष्ट्रीय सड़क निधि के फण्ड से बाठड़ी चौराहा से 100 मीटर दूर 7 किमी. एवं कोलिया एवं जानकीपुरा के मध्य 4 किमी कुल 11 किमी दूरी में रोड़ के दोनों और सोल्डर के स्थान पर डामर सड़क बनायी गई है एवं गावों के पास नालियों का निर्माण भी किया गया है। सड़क के पूर्व में सोल्डर के स्थान पर डामर सड़क बनाने से नये सोल्डर वन भूमि मे बनाये गये, इसी प्रकार नालियों का निर्माण वन क्षेत्र में किया गया। यह कार्य 16.04. 2016 से प्रारम्भ होकर हाल ही में पुरा हुआ है। इस प्रकार वन क्षेत्र में सड़क के सोल्डर निर्माण व नालिया निर्माण बिना वन भूमि के प्रत्यावर्तन के कराया गया है, जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों का उल्लंघन है। यूजर ऐजेन्सी द्वारा अब इस रोड़ के दोनों और 7.5–7.5 मीटर वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव प्रेषित किये है।

(वेद प्रकाश गुर्जर)
उप वन संरक्षक
नागौर